छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 1755/1872/2021/16 नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक 5/7/23

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संचालक/
महाप्रबंधक/कुलपति/संभाग आयुक्त/कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पंचायत)/उप संचालक, नगर तथा
ग्राम निवेश/सर्व कार्यालय प्रमुख/कोषालय अधिकारी,
जिला–समस्त (छत्तीसगढ़)

विषय :– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत् उपकर के संबंध में।

---00---

विषयांतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 (2) सहपठित नियम 1998 के नियम–03 के अनुसार प्रत्येक सन्निर्माण कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत (भूमि की लागत को छोड़कर) भारत सरकार के अधिसूचना कमांक 2899, दिनांक 26.09.1996 अनुसार उपकर के रूप में श्रम विभाग के छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा लिया जाना प्रावधानित है, जिसके परिपालन में विभागीय पत्र क्रमांक 2832/1872/2021/16, नवा रायपुर, दिनांक 27.11.2021 के द्वारा निजी एवं व्यवसायिक निर्माण कार्यो हेतु अनुमानित निर्माण लागत सीमा में संशोधन करते हुए शहरी क्षेत्र के निर्माण कार्यो के लिए लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में प्रचलित मानक दर **(S.O.R.)** तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यो के लिये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मानक दर **(S.O.R.)** के आधार पर निर्माण प्राक्कलन की गणना किये जाने का निर्णय लिया गया था।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के 19 वी बैठक दिनांक 19.04.2023 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 19.14 में लिए गये निर्णय निर्णय अनुसार किसी भी निजी आवास निर्माण कार्य की लागत रूपये 1200/– प्रति वर्गफीट एवं किसी भी व्यवसायिक निर्माण की लागत रूपये 1400/– प्रति वर्गफीट की दर से मान्य करते हुए उपकर की गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा शासकीय निर्माण कार्य में वास्तविक लागत का 01 प्रतिशत उपकर संग्रहण किया जाना निर्धारित किया गया है।

निरंतर...2..

अतः उपरोक्तानुसार वर्तमान प्रचलित उपकर के दर के स्थान पर शासकीय निर्माण कराते समय नियोजक का यह दायित्व है कि निर्माण कार्य के भुगतान करते समय 01 प्रतिशत की कटौती की जाकर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को हस्तांतरित करने का कष्ट करें तथा निजी एवं व्यवसायिक निर्माण के अनुमति प्रदाय करते समय संबंधित अनुज्ञा अधिकारी उपरोक्तानुसार **(निजी आवास निर्माण कार्य की लागत रूपये 1200/– प्रति वर्गफीट एवं किसी भी व्यवसायिक निर्माण की लागत रूपये 1400/– प्रति वर्गफीट की दर)** कुल लागत की गणना की जाकर 01 प्रतिशत उपकर की राशि अनुज्ञा जारी करने के पूर्व जमा करवाये जाने के पश्चात् ही अनुज्ञा जारी करने का कष्ट करेंगे तथा जमा कराई गयी उपकर की राशि को 30 दिवस के भीतर छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को, मंडल के वेबसाईट **cglabour.nic.in** में पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराना सुनिश्चित करें।

(अमृत कुमार खलखो)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग

पृ0क्रमांक/1756/1872/2021/16 **नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक 5/7/23**

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, श्रम एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग, छत्तीसगढ शासन, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
2. निज सहायक, मा0 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, सेक्टर–24, ऑफिस काम्प्लेक्स, अटल नगर नवा रायपुर,
3. निज सहायक, मा0 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, न्यू शांति नगर, रायपुर,
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर,
5. नोडल अधिकारी, छ0ग0 राज्य असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर,
6. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, न्यू शांति नगर, रायपुर,
7. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर,
8. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी सह उपकर निर्धारण अधिकारी
9. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
10. N.I.C शाखा प्रभारी, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग